मायावती से शुरू से ही गठबंधन चाहते थे अखिलेशए इसीलिए घोटालों की जाँच रुकवा दी थी

अखिलेश सरकार ने 2012 में सत्ता हासिल करने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व तक मायावती के भ्रष्टाचार के खिलाफजो भी जांच बैठाई थीए 2014 के बाद उसकी धार को उन्हीं के द्वारा कुंद भी कर दिया गया।

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन भले ही अब हुआ हो लेकिन अखिलेश के दिमाग में गठबंधन का श्कीड़ाश् 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही से ही बिलबिलाने लगा था। पूर्व में दिए गए उनके कुछ बयान इस बात की ताकीद करते थे। इसीलिए सीएम की कुर्सी पर बैठे अखिलेश यादव ने 2014 के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती थीं या फिर वह जेल जा सकती थीं। जैसा की सपा नेताओं ने 2012 के विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान दावा भी किया था। अखिलेश सरकार ने 2012 में सत्ता हासिल करने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व तक मायावती के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी जांच बैठाई थींए 2014 के बाद उसकी धार को उन्हीं के द्वारा कुंद भी कर दिया गया। इन जांचों में खासकर मायावती राज के स्मारक घोटाले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे। जिसमें मायावती के जेल जाने की बात समाजवादी पार्टी के नेता 2012 के विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान किया करते थे। लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी मायावती को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया था। यह उन दिनों की बात हैए जब 2007 से 2012 तक यूपी में मायावती सत्तारूढ़ थीं।

बहरहाल यह तो जगजाहिर है कि मायावती ने सत्ता में रहते पत्थरों पर पानी की तरह पैसा बहाया थाए लेकिन इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है कि गोमती नगर और काफी हद तक आलमबाग की खूबसरती में चार चांद लगाने में मायावती की सरकार द्वारा कराए गये निर्माण कार्यों का विशेष योगदान रहा था। वैसे उनके विरोधी यही आरोप लगाते हैं कि सत्ता में रहते हुए दलित महापुरूषों के नाम के स्मारकों और पार्कों के नाम पर मायावती ने भ्रष्टाचार की गंगा बहायी थी। यहां तक की उन्होंने मान्यवर कांशीराम के साथ अपनी मूर्ति तक बनवा डाली थी। 2012 के विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी ने तत्कालीन मायावती सरकार के खिलाफइसे बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादवए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव सहित तमाम समाजवादी नेताओं ने यहां तक दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो मायावती सलाखों के पीछे होंगी।

खैर, पहले पूरे घोटाले के मामले को समझ लिया जाए जिसके चलते आजकल मायावती पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। माया राज में हुए स्मारक घोटाले को लेकर ईडी की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं। अकेले लखनऊ में ही स्मारक घोटाले के आरोपी इंजीनियर और ठेकेदारों के 6 ठिकानों. गोमतीनगर, अलीगंज, हजरतगंज और शहीद पथ के पास ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा चुकी है। ये स्मारक मायावती के कार्यकाल में बने थे। 1400 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की जांच विजिलेंस और ईडी की टीमें कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती राज में हुए स्मारक घोटाले को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इस मामले में चल रही विजिलेंस जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जनता के धन का दुरूपयोग करने का कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। दोषी कितना भी रसूखदार हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अदालत ने विजिलेंस जांच की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठाए थे और यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप दी जाए।

गौरतलब है कि मायावती ने 2007 से 2012 तक के अपने कार्यकाल में लखनऊ-नोएडा में अम्बेडकर स्मारक परिवर्तन स्थलए मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल,गौतमबुद्ध उपवन, ईको पार्कए नोएडा का अम्बेडकर पार्क, रमाबाई अम्बेडकर मैदान और स्मृति उपवन समेत पत्थरों के कई स्मारक बनवाए थे। इन स्मारकों के निर्माण में सरकारी खजाने से 41 अरब 48 करोड़ रूपये खर्च किये गए थे। तत्कालीन मायावती सरकार पर इन स्मारकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर घपला कर सरकारी रकम के दुरूपयोग का आरोप लगा था।

2012 में मायावती की सत्ता जाने और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस घोटाले की जांच यूपी के तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को सौंपी गई थी। लोकायुक्त ने 20 मई 2013 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में 14 अरब 10 करोड़ए 83 लाखए 43 हजार का घोटाला होने की बात कही थी।

उधर, कैग रिपोर्ट 2012 के अनुसार चुनार मिर्जापुर से पत्थर लेकर उसे नक्काशी के लिए 670 किमी दूर बयाना राजस्थान भेजा गया था, फिर 450 किमी दूर लखनऊ लाया गया। यदि चुनार में ही पत्थर काटने वालों को नियुक्त कर नक्काशी कराते तो 15.60 करोड़ परिवहन व्यय बच सकता था। रिपोर्ट में बलुआ पत्थरों के भुगतान पर भी सवाल खड़े किए गए थे।

इसी तरह नवंबर 2007 में स्मारकों की चहारदीवारी बनाने को 1890 रुपये प्रति घन फुट्ए ब्लाक स्थापना के लिए 1750 रुपये प्रति घन फुट और फ्लोरिंग के लिए 2400 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर ठेका दिया गया था। दिसंबर 2008 में संयुक्त क्रय समिति ने अपने आप कार्यों की दर घटा दी। चहारदीवारी के लिए 1300 रुपये घन फुट, ब्लॉक के लिए 1750 से 1250 रुपये घन फुट व फ्लोरिंग के लिए 1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर तय कर दी। यह कटौती पहले की जाती तो 22.16 करोड़ रुपये बच जाते।

भ्रष्टाचार का आलम यह था कि थरमोकोल के लिए भी 25 रुपये प्रति घनफुट का भुगतान किया गया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। कैग ने रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए

उधर, कैग रिपोर्ट 2012 के अनुसार चुनार मिर्जापुर से पत्थर लेकर उसे नक्काशी के लिए 670 किमी दूर बयाना राजस्थान भेजा गया था, फिर 450 किमी दूर लखनऊ लाया गया। यदि चुनार में ही पत्थर काटने वालों को नियुक्त कर नक्काशी कराते तो 15.60 करोड़ परिवहन व्यय बच सकता था। रिपोर्ट में बलुआ पत्थरों के भुगतान पर भी सवाल खड़े किए गए थे। इसी तरह नवंबर 2007 में स्मारकों की चहारदीवारी बनाने को 1890 रुपये प्रति घन फुट्ए ब्लाक स्थापना के लिए 1750 रुपये प्रति घन फुट और फ्लोरिंग के लिए 2400 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर ठेका दिया गया था। दिसंबर 2008 में संयुक्त क्रय समिति ने अपने आप कार्यों की दर घटा दी। चहारदीवारी के लिए 1300 रुपये घन फुट, ब्लॉक के लिए 1750 से 1250 रुपये घन फुट व फ्लोरिंग के लिए 1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर तय कर दी। यह कटौती पहले की जाती तो 22.16 करोड़ रुपये बच जाते।